न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी:—आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:—312/2017 प्रार्थना पत्र
1—कन्हैयादास पुत्र माधुदास वैष्णव निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम

1—शान्तिलाल पुत्र लक्ष्मण ब्राहम्ण निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाडा। — प्रार्थी
2—भीलवाडा अजमेर क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कारोईकलां जिला भीलवाडा जरिये शाखा प्रबन्धक।
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—
1—अधिवक्ता प्रार्थी श्री अम्बालाल कुमावत
2—अधिवक्ता विपक्षी सं0 1 श्री दिनेश जोशी

:: निर्णय ::

दिनांक:—06.06.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात सरहद ग्राम दादीया प0ह0 गुन्दली भू.अ.नि. क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित होकर आराजी संख्या 622 रकबा 08 बिस्वा, आराजी संख्या 633 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 634 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता नम्बर 669 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 625 एवं 626 की दक्षिणी मेड की तरफ मौके पर बडा 12 फीट का गेट लगा हुआ है, जिससे होकर प्रार्थी अपनी आराजियात आते जाते है जो 12 फीट चौडा रास्ता बना होकर गाडी गडार बनी हुई है, जिससे प्रार्थी अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजियात में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है।

प्रार्थी की उक्त आराजिया मे आने जाने का एक मात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, लेकिन विपक्षी संख्या 01 की नियत में फितुर पैदा होने व प्रार्थी की आराजियात को हडप करने की गरज से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग गये। जबकि विपक्षी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकर नही है व विपक्षीगण को दिनांक 05 मई 2017 को रास्ते मे अवरोध पैदा नही करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये व रास्ते को बंद करने की धमकी दी। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमाई जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड(नक्शे)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

में दर्ज करने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये व रास्ते को बंद करनेकी धमकी दी।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षी संख्या 01 के स्वीकार फरमाया जाकर सरहद ग्राम दादीया प0ह0 गुन्दली भू.अ.नि. क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 622 रकबा 08 बिस्वा, आराजी संख्या 633 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 634 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता नम्बर 669 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 625 एवं 626 की दक्षिणी मेड की तरफ मौके पर बडा 12 फीट का गेट लगा हुआ है, जिससे होकर प्रार्थी अपनी आराजियात आते जाते है जो 12 फीट चौडा रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज किये जाने का ओदश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से दिनांक 11.10.2017 को जवाब पेश हुआ, विपक्षी संख्या 2 व 3 के विरूद्व दिनांक 8.10.2018 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में पुनः तहसीलदार भीलवाडा से उनके पत्र कमांक एफ–624/रीडर/2024/209 दिनांक 03.05.2024 रास्ते का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल फाईल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपने जवाब दावे के कथनो को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजियात संख्या 633 के एकदम नजदीक उत्तर दिशा में आम रास्ता सटा हुआ है और यह रास्ता गांव दादीया आबादी से निकलकर आराजी संख्या 72 व 70 के दक्षिण में खातेदारो की सहमति से सरकार ने कई वर्षो पूर्व कायम आम रास्ता गिट्टी रोड का निर्माण करवाया जो आम रास्ता आगे जाकर ग्राम लक्ष्मणपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा के आम रास्ता संख्या 154 में मिल रहा है जो रास्ता मौके पर विद्यमान है और इसी रास्ते से प्रार्थी सुविधापूर्वक अपनी आराजी में प्रवेश करता चला आ रहा है और दूसरा कच्चा आम रास्ता जो इस रास्ते के पास ही इसके उत्तर दिशा मे है, जो भी आगे चलकर गांव लक्ष्मणपुरा के इसी रास्ते में मिल रहा है। इस प्रकार प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिए पास ही उत्तर दिशा में दोनो रास्ते मौके पर विद्यामान है जिसका पक्षकारगण निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिस बाबत ग्राम दादीया के निवासीयों ने प्रार्थी के विरूद्व एक सिविल वाद भी पेश कर रखा है, जिसमें प्रकरण संख्या 60/2017 मु.दी. प्रार्थी कन्हैयादास के विरूद्व तय कर प्रार्थीगणो को कन्हैयादास की उक्त वर्णित आराजी में कायम आम रास्ते में किसी प्रकार की विघ्न बाधा पैदा नही करने बाबत पाबन्द किया हुआ है, जिसकी द्वेषतावश प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्व यह गलत व झूठा दावा पेश किया है व धारा 251–ए में दर्ज नियमानुासार प्रार्थी की आराजी में आने जाने बाबत रास्ता नही होने पर आराजी के एकदम नजदीक सबसे लघुतम रास्ता कायम होने पर उसी रास्ते से ही

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

कानूनन रास्ता दिलाया जा सकता है। विपक्षी संख्या 01 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज कराया जावे।

विपक्षी संख्या 01 ने दिनांक 23.05.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने का पिछले 100 वर्षो से दादीया गांव से बागोर जाने का आम रास्ता गिट्टी रोड आराजी संख्या 70 व 72 के दक्षिण दिशा में खातेदारो की सहमति से सरकार ने ग्रेवल व गिट्टी डालकर रोड का निर्माण किया है एवं पास ही आम रास्ता संख्या 79 व 69 बिलानाम जगह से भी आम रोड बागोर तक जा रहा है इसलिए प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए का खारिज कराया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की आराजियात सरहद ग्राम दादीया प0ह0 गुन्दली भू.अ.नि. क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 622 रकबा 08 बिस्वा, आराजी संख्या 633 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 634 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता नम्बर 669 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 625 एवं 626 की दक्षिणी मेड की तरफ मौके पर बडा 12 फीट का गेट लगा हुआ है, जिससे होकर प्रार्थी अपनी आराजियात आते जाते है जो 12 फीट चौडा रास्ता विद्यामान है अन्य कोई वैकल्पिक निकटतम रास्ता नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 का जवाबदावा निरस्त कराया जाये।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की आराजियात संख्या 633 के एकदम नजदीक उत्तर दिशा में आम रास्ता सटा हुआ है और यह रास्ता गांव दादीया आबादी से निकलकर आराजी संख्या 72 व 70 के दक्षिण में खातेदारो की सहमति से सरकार ने कई वर्षो पूर्व कायम आम रास्ता गिट्टी रोड का निर्माण करवाया जो आम रास्ता आगे जाकर ग्राम लक्ष्मणपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा के आम रास्ता संख्या 154 में मिल रहा है जो रास्ता मौके पर विद्यमान है और इसी रास्ते से प्रार्थी सुविधापूर्वक अपनी आराजी में प्रवेश करता चला आ रहा है और दूसरा कच्चा आम रास्ता जो इस रास्ते के पास ही इसके उत्तर दिशा मे है, जो भी आगे चलकर गांव लक्ष्मणपुरा के इसी रास्ते में मिल रहा है। इस प्रकार प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिए पास ही उत्तर दिशा में दोनो रास्ते मौके पर विद्यामान है जिसका पक्षकारगण निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या 01 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कराया जाये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 01 के जवाबदावा का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 622, 633, 634 पर आने जाने हुतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 625, 626 में से रास्ते हेतु भूमि की प्रतिकर

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

राशि भुगतान के आधार पर स्वीकृति चाही है। जबकि विपक्षी संख्या 01 ने अपनी आपत्ति में प्रकट किया है कि आराजी संख्या 633 के एकदम नजदीक उत्तर दिशा में आम रास्ता सटा हुआ है, एवं आराजी नम्बर 622 से होकर चाह नम्बर 632 से होकर 634 में आम रास्ते का प्रार्थी द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है इसके प्रमाण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये जिससे विपक्षी की आराजी नम्बर 625, 626 से रास्ते हेतु भूमि स्वीकृत करने पर जो आपत्ति विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रकट की गई है जो तहसीलदार भीलवाडा के प्रस्ताव कमांक 209 दिनांक 3.05.2024 के अनुसार आपत्ति निराधार है विपक्षी संख्या 01 की आपत्ति खारिज की जाती है। इसके साथ ही विपक्षी संख्या 01 द्वारा दिनांक 23.05.2024 को जो आपत्ति पुनः प्रस्तुत की गई है जो भी आधारहीन होने से खारिज की जाती है। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भीलवाडा से निम्न बिन्दुओ पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थी को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे :– तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार वैकल्पिक रास्ता नही है। नक्शा ट्रेस नकल संलग्न है।
2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करावे :– तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है इसमें कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है
3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थी की आराजियात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावे :– तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण ने भूमि की एवजगी व रास्ता भूमि नही देना चाहते है। पर्चा मौका दिनांक 23.02.2021 को वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में तैयार किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। पुनः दिनांक 01.05.2024 को प्रस्ताव तैया किया गया प्रतिवादी उपस्थित नही हुआ। नक्शा ट्रेस, व मौका पर्चा संलग्न है।
4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामे से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करे एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावे :– तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार राजीनामा से रास्ता देने हेतु समझाईस की गई किन्तु पक्षकार सहमत नही है। प्रस्ताव तैयार कर संलग्न किया गया।
5. सहमति नही होने की स्थिति में लघुतम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल (लम्बाई X चौडाई) एवं क्षैत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षैत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें।(मय पर्चा मौका):–तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया लघुतम रास्ता आराजी संख्या 625 मे से 0.03.13 आराजी संख्या 626 मे से 0.02.02 किता 02 रकबा 0.05.15 बीघा यानि 0.0727 हैक्टेयर बनता है। डीएलसी दर प्रति हैक्टेयर 419455 रूपये बनती है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि क्षैत्रफल 0.0727

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हैक्टेयर भूमि में रास्ते की चौडाई 12.5 फीट की डीएलसी दर से दोगुना करने पर राशि 60989–00 रूपये बनती है। मौका पर्चा नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस संलग्न है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा दादीया प0ह0 गुन्दली भू0अ0नि0 क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 622, 633, 634 किता 03 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी संख्या 625, 626 से रास्ता चाह रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थी उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नही है। आराजी नं0 625, 626 विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि है। अतः ग्राम दादीया प0ह0 गुन्दली भू.अ.नि.पुर तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 622, 633, 634 पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–,ख कोई कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

1. यह अत्यधिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक, को अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फीट नीचे पाईप लाईप बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि मे से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नही किया जावे तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फीट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विधमान मार्ग को तीस फीट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

(2) जहाँ उप–धारा(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने को अधिकार मंजूर किया जाय वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिघृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेंगे।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा दादीया प0ह0 गुन्दली भू.अ.नि. पुर तहसील व जिला भीलवाडा के हल्के बेरुनी स्थित है जिसके आराजी नं0 622, 633, 634 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की मौजा दादीया के आ.नं. 625, 626 है। जिसका रकबा आ0नं0 625 में 0.03.13 बीघा आ0नं0 626 रकबा 0.02.02 बीघा किता 02 रकबा 0.05.15 बीघा अर्थात 0.0727 हैक्टेयर अर्थात साढे बारह फीट चौडाई का रास्ता सार्वजनिक रास्ते हुत स्वीकृत किया जाता है। आराजी संख्या 625 क्षैत्रफल 0.03.13 बिस्वा व 626 क्षैत्रफल 0.02.02 बिस्वा यानि 0.0727 हैक्टेयर भूमि की डीएलसी दर 419455 रूपये प्रति हेक्टेयर से 0.0727 हैक्टेयर भूमि की डीएलसी दर की दोगुना राशि 60989–00–00 रूपये बनती है जो कि आराजी संख्या 625, 626 अप्रार्थी संख्या 01 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 06..06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अखण्ड प्रताप सिंह / ...मनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा